न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 42/2019 ::
आर.सी.एम.एस. नं. :: 2019/00106

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिनेश कुमार पुत्र सुखलाल सैणचा, जाति सीरवी, निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली		1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री सुखलाल सैणचा जाति सीरवी निवासी पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली 3. सचिव, ग्राम पंचायत पिपलिया कलां, तहसील रायपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घेवर राम गहलोत
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16.01.2020

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, पिपलिया कलां की मिसल संख्या 14/1995–96, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.11.1996 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 01 दिनांक 04.01.1997 जो अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के पिता का रहवासी मकान गांव पिपलिया कलां की आबादी में आया हुआ है, जो उनका रहवासी पुश्तैनी मकान है। प्रार्थी के पिता के पांच पुत्र व दो पुत्रियां है, उक्त रहवासी मकान पर उन सबका समान हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त मकान का ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए अपने नाम पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 15 वर्ष 1995–96 दिनांक 17.10.1995 को दर्ज की तथा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.1995 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है, जबकि ग्राम पंचायत की आज्ञाओ की सूचि में दिनांक 25.08.1996 में यह अंकित है कि अप्रार्थी ने अपने कब्जा सुदा प्लॉट का पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 17.10.1995 को मिसल कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अप्रार्थी के नाम जो पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी किया है, वह मिसल संख्या 14/1994–96 में जारी किया है, जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है, उसकी मिसल संख्या 15/1995–96 अंकित है, जो दोनों ही आपस में विरोधाभाषी है। इसके पश्चात भी ग्राम पंचायत ने मिसल में की गई समस्त कार्यवाही एक ही जगह बैठकर सम्पन्न की है, एक ही दिनांक 09.09.1996 को पट्टा बनाने एवं आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए है, जो की एक साथ कतई नहीं हो सकता है। जो आपत्ति नोटिस जारी किया गया है, वह कहां चस्पा किया गया है, इसका कहीं भी अंकन नहीं है। दिनांक 02.11.1996 को दो गवाहो के बयान कलमबद्ध किए गए है, जिनको देखने से स्पष्ट है की खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए गए है तथा बाद में बयान लिखे गए है। जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्रार्थी को हाल में दिनांक 05.06.2019 को हुई, जब उसने वादस्थ जायदाद का विधिक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बंटवाडा करवाने का अप्रार्थी से कहा। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 1 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी जिस पट्टे को चुनौती दी है, वह उसका पुश्तैनी मकान नहीं होकर क्रय सुदा भुखण्ड का जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूखण्ड के विक्रय विलेख के संबंध में ग्राम पंचायत में आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 14/1995–1996 कायम कर पंचायती राज अधिनियम के अनुसार आपत्ति इश्तिहार जारी किए गए, उसके पश्चात किसी प्रकार की समयसीमा में आपत्ति प्राप्त नहीं होने के बाद, स्वतंत्र गवाहो के बयान लिए जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, उनके हक में विक्रय विलेख संख्या 1 जारी किया है। जो विधि सम्मत है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी याचिका में यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह मिसल संख्या 15/1995–1996 में जारी किया है, यह सही नहीं है। वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा संख्या 1 मिसल संख्या 14/1995–1996 कायम कर ही जारी किया गया, जो ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल मिसल एवं विक्रय विलेख से स्पष्ट है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में मिसल संख्या 15/1995–1996 का हवाला दिया है तथा इसी मिसल की प्रति भी निगरानी के साथ पेश की है, जो न्यायालय को भ्रमित करने व इन्हीं मिथ्या तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के क्रयसुदा भूखण्ड को पुश्तैनी बताते हुए खारिज कराने चाहते है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया एवं अपनी लिखित बहस व निगरानी याचिका में भी उल्लेख किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह उनका पुश्तैनी रहवासी मकान का जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा जारी करने हेतु जो मिसल कायम की गई है, वह मिसल संख्या 14/1995–1996 न होकर मिसल संख्या 15/1995–1996 है तथा इसी मिसल की प्रति भी उन्होंने अपनी निगरानी याचिका के साथ पेश की है। इस संबंध में ग्राम पंचायत पिपलिया कलां से मूल रेकर्ड मंगवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मूल मिसल संख्या 14/1995–1996 पेश की है तथा मिसल के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 04.01.1997 इसी मिसल के आधार पर जारी किया गया है तथा मिसल संख्या 15/1955–1996 के तहत कोई अन्य पट्टा जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मिथ्या व गलत दस्तावेज पेश कर न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया है तथा इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वे अप्रार्थी का पट्टा खारिज करवाना चाहते है। जो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त विक्रय विलेख वर्ष 1997 में प्राप्त किया गया व उसपर निर्माण कराया गया, उस समय प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता श्री सुखलाल सैणचा जीवित थे तथा अगर यह भुखण्ड उनका पुश्तैनी होता तो उनके द्वारा पट्टे एवं निर्माण कार्य पर एतराज किया जाता, लेकिन ऐसे किसी प्रकार के एतराज का साक्ष्य या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि भूखण्ड पुश्तैनी था। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल मिसल संख्या 14/1995–1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह उनके क्रयसुदा भूखण्ड का जारी किया गया है, जो मिसल संलग्न बेचाण की छाया प्रति से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन किया गया है, उसमें भी उन्होने अंकन किया कि उक्त भूखण्ड उनका कब्जासुदा भूखण्ड है तथा इसी आधार पर वे पट्टा बनवाना चाहते है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत ने मिसल कायम कर, तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, उसके पश्चात आपत्ति के संबंध में नोटिस जारी किया गया, जो सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया गया, जिसकी ताईद नोटिस के पुश्त पर अंकित मौतबिरानों के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हुई हो, मिसल पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में रा.प.सा. नियम 266 (क) (ख) के अनुसार आपसी बातचीत से प्रति वर्गफुट 30 पैसे से 529.00 रूपये लिए जाकर पट्टा जारी किया गया है। जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, पिपलिया कलां द्वारा मिसल संख्या 14/1995–96, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.11.1996 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 01 दिनांक 04.01.1997 जो अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी किया गया को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड ग्राम पंचायत पिपलिया कलां को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली